Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2012
(PHALGUNA 5, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2012

No. 8—HLA of 2012/11.—The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2012 , is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 8—HLA of 2012

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2012. Short title.

2. After section 45 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sections shall be inserted, namely :— Insertion of sections 45A, 45B and 45C in Haryana Act 11 of 1994

"45A. **Power to regulate communication towers.-** (1) No person shall erect or re-erect communication towers in a sabha area unless he has taken approval from the concerned authority and subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The owner of such communication towers shall pay to the concerned Gram Panchayat such fee, tax, duty or cess, as may be prescribed.

45B. Power to regulate commercial, institutional and industrial activities.—(1) No person shall run such commercial, institutional or industrial activity, as may be prescribed in a sabha area unless he has taken approval from the concerned authority and subject to such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The owner of such commercial, institutional or industrial activity shall pay to the concerned Gram Panchayat such fee, tax, duty or cess, as may be prescribed.

45C. Regularization of existing communication towers and commercial, institutional or industrial activities.- The existing communication towers and commercial, institutional or industrial activities in a sabha area shall be deemed to have been regularized under sections 45A and 45B respectively if the owner obtains ex-post facto approval and fulfills such terms and conditions, as may be prescribed within a period of three months from the date of publication of rules framed under this section:

Provided that if the owner fails to obtain ex-post facto approval or comply with the terms and conditions, such communication tower or activity shall be deemed to be unauthorized and action for its removal shall be taken in such manner, as may be prescribed.".

Amendment of Section 209 of Haryana Act 11 of 1994

3. In sub-section (2) of section 209 of the principal Act, in clause (u),-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;

(ii) the following clauses shall be added at the end, namely:—

"(v) for regulating the communication towers;

(w) for regulating the commercial, institutional or industrial activities.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With the growth of industrialization and rapid development in rural areas, communication towers and commercial, institutional and industrial activities are coming up in villages. However, there is no provision in the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 or Rules made thereunder, to regulate such activities. Since there is no enabling provision in the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 to provide regulatory provisions in the Haryana Panchayati Raj Rules, enabling provisions are required to be made in the Act. Therefore, it is necessary to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 for regulating the communication towers and commercial, institutional and industrial activities in the Sabha areas of Gram Panchayats by inserting sections 45A, 45B, 45C after section 45 and by amending section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Hence, this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th February, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the proposed Bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2012 का विधेयक संख्या 8-एच० एल० ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2012
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो —

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 45 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 मे धारा 45क, 45ख तथा 45ग का रखा जाना।

"45क. **संचार टावरों को विनियमित करने की शक्ति.**–(1) कोई भी व्यक्ति सभा क्षेत्र में संचार टावरो का परिनिर्माण या पुन. परिनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक वह सम्बन्धित प्राधिकारी से तथा यथा विहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) ऐसे संचार टावरों का स्वामी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को यथा विहित ऐसी फीस, कर, शुल्क या उपकर का भुगतान करेगा।

45ख. **वाणिज्यिक, संस्थागत तथा औद्योगिक क्रियाकलापों को विनियमित करने की शक्ति.**–(1) कोई भी व्यक्ति सभा क्षेत्र में यथा विहित ऐसे वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक क्रियाकलाप तब तक नहीं चलाएगा जब तक वह सम्बन्धित प्राधिकारी से तथा यथा विहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) ऐसे वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक क्रियाकलाप का स्वामी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को यथा विहित ऐसी फीस, कर, शुल्क या उपकर का भुगतान करेगा।

45ग. **विद्यमान संचार टावरों तथा वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक क्रियाकलापों का नियमितीकरण.**– सभा क्षेत्र में विद्यमान संचार टावरों तथा वाणिज्यिक सस्थागत या औद्योगिक क्रियाकलाप क्रमश: धारा 45क तथा 45ख के अधीन नियमित किए गए समझे जाएंगे यदि स्वामी इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के प्रकाशन कि तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लेता है तथा यथाविहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा कर लेता है

परन्तु यदि स्वामी कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने या निबन्धनों तथा शर्तों का अनुपालन करने मे असफल रहता है, तो ऐसा संचार टावर या क्रियाकलाप अप्राधिकृत के रूप मे समझा जाएगा तथा इसको हटाने के लिए कार्रवाई ऐसी रीति मे की जाएगी, जो विहित की जाए।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 209 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 209 की उप-धारा (2) में, खण्ड (प) मे –

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अन्त मे निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(फ) संचार टावरों को विनियमित करने के लिए ;

(ब) वाणिज्यिक, संस्थागत या औद्योगिक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ।";

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

औद्योगीकरण की वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित विकास के साथ गांवों में संचार टावर तथा वाणिज्यिक, संस्थानिक तथा औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। जबकि ऐसी गतिविधियों के विनियमन के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 या इसके अधीन बनाये गये नियमों मे कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 मे हरियाणा पंचायती राज नियमावली में नियामक प्रावधान किये जाने बारे सक्षम प्रावधान नहीं हैं, अधिनियम मे सक्षम प्रावधान किये जाने आवश्यक हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों के सभा क्षेत्रो में संचार टावर तथा वाणिज्यिक, संस्थानिक और औद्योगिक गतिविधियो को विनियमित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 मे धारा 45 के बाद धाराएं 45क, 45ख व 45ग जोड़कर तथा धारा 209 में संशोधन करके हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करना आवश्यक है।

अत: यह विधेयक है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
24 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 3 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियो का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अत: हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन संलग्न है।

49620—H.V.S.—H.G P., Chd.